रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 जून, 1974
आषाढ़ 6, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1854/17-वि-1--94/73

लखनऊ, 27 जून, 1974

### विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 जून, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

## उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1974]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें ।

प्रस्तावना का संशोधन

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें ।

धारा 1 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में, शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें ।

धारा 2 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(1) खंड (ककक) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाय, अर्थात्:—

"(ककककक) 'अलकोहल' का तात्पर्य उस एथाइल अलकोहल से है जो मानवीय उपभोग के लिये अलकोहलिक शराब न हो, और इसके अन्तर्गत शोधित स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल भी है";

(2) खण्ड (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्:—

"(ग) 'व्यापारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ से है जो कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य किसी प्रतिफल के लिये मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक के क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण का व्यापार करता हो, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा हिन्दू संयुक्त परिवार तथा ऐसी कोई सोसायटी या क्लब अथवा व्यक्तियों का अन्य कोई संघ, जो अपने सदस्यों को मोटर स्प्रिट, डीजल आयल अथवा अलकोहल बेचती है, भी है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का ऐसा विभाग भी है जो ऐसा व्यापार करता हो;

(घ) अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, 'बिक्री' का तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा नकद या आस्थगित भुगतान के लिये अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या तीनों ही के अन्तरण से है, और इसके अन्तर्गत किसी सोसायटी या क्लब अथवा व्यक्तियों के अन्य किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक का अन्तरण भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत बन्धक, आडमान, भार या गिरवी नहीं है।"

धारा 3 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की प्रथम बिक्री पर मोटर स्प्रिट की दशा में 25 पैसे प्रति लीटर से अनधिक, डीजल आयल की दशा में 10 पैसे प्रति लीटर से अनधिक तथा अलकोहल की दशा में 90 पैसे प्रति लीटर से अनधिक ऐसी दर या दरों से जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, कर आरोपित किया जायगा, और ऐसे कर का भुगतान ऐसी प्रथम बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा, नियत रीति से किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की कोई बिक्री जो उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य में उसकी प्रथम बिक्री हो, इस बात के होते हुए भी कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व राज्य के भीतर बिक्री के किसी अन्य संव्यवहार का विषय रही हो, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ राज्य में उसकी प्रथम बिक्री समझी जायगी।"

धारा 5 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 5 में उसकी उपधारा (1) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें, क्रमशः रख दी जायें, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक व्यापारी उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर अथवा यदि वह उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्थान पर अपना व्यापार आरम्भ करता है तो व्यापारी के रूप में अपना व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व नियत प्राधिकारी को नियत रीति से आवेदन-पत्र देकर व्यापारी के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा, और इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, उसे एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा धारा 9 के अधीन सशक्त किया गया कोई अधिकारी किसी व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इन्कार कर सकता है यदि उसने ऐसे व्यापारी को पहले से प्रदान किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को पहले ही रद्द कर दिया हो या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर दिया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत कोई रजिस्ट्रीकरण-पत्र, इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रवृत्त बना रहेगा और उस अवधि के लिये जिसके हेतु वह स्वीकृत किया गया हो, विधिमान्य होगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिये अथवा उसके अंश के लिये 500 रु० से अनधिक ऐसी फीस का जो नियत की जाय, भुगतान करने पर प्रदान अथवा नवीकृत किया जायगा।"

8—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में शब्द "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल" और शब्द "मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल" जहां-जहां प्रयुक्त हुए हों, के स्थान पर शब्द, "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायें। धारा 10 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द "मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायें। धारा 11 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खण्ड (घ) तथा (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन

"(घ) मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक के व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली विवरणियों के ब्योरे तथा प्रपत्र, उन्हें सत्यापित किये जाने की रीति, वह समय जब तथा वह प्राधिकारी जिसे ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी तथा उनकी समस्त ऐसी अन्य शर्तें जो आवश्यक हों, नियत करने के लिये,

(ङ) मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की बिक्री के विनियमन की, कर के निर्धारण की तथा भुगतान की अपेक्षा करने के लिये नोटिसों को जारी करने की और भुगतान न किये गये कर की वसूली की व्यवस्था करने के लिये।"

11—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

---

No. 1854 (2) /XVII-V-1—94-1973
*Dated Lucknow, June 27, 1974*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit tatha Diesel Oil Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Government on June 24, 1974 :

## THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT AND DIESEL OIL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. Act No. 12 of 1974]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation Act, 1939*

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Act, 1974. Short title.

2. In the long title of the United Provinces Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation Act, 1939 (hereinafter referred to as the principal Act), *for* the words "motor spirit and diesel oil", the words "motor spirit, diesel oil and alcohol" shall be *substituted*. Amendment of long title of U. P. Act I of 1939.

3. In the preamble of the principal Act, *for* the words "retail sales of motor spirit and diesel oil", the words "sales of motor spirit, diesel oil and alcohol" shall be *substituted*. Amendment of the preamble.

4. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "Motor Spirit and Diesel Oil", the words "Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol" shall be *substituted*. Amendment of section 1.

Amendment of section 2.

5. In section 2 of the principal Act—

(1) *after* clause (*aaa*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*aaaa*) 'alcohol' means Ethyl alcohol not being alcoholic liquor for human consumption, and includes rectified spirit and absolute alcohol."

(2) *for* clauses (*c*) and (*d*), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) 'dealer' means any person or association of persons carrying on the business of buying, selling, supplying or distributing motor spirit or diesel oil or alcohol or two or more of them, whether for commission, remuneration or otherwise, and includes any firm of Hindu undivided family and any society or club or any other association of persons, which sells motor spirit, diesel oil or alcohol to its members, and also includes any department of the State Government or the Central Government which carries on such business;

(*d*) 'sale', with its grammatical variations and cognate expressions means transfer of motor spirit or diesel oil or alcohol or all the three by a dealer for cash or deferred payment, or for other valuable consideration, and includes transfer of motor spirit or diesel oil or alcohol or two or more of them by a society or club or any other association of persons to its members, but does not include a mortgage, hypothecation, charge or pledge."

Amendment of section 3.

6. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) There shall be levied on the first sale of motor spirit or diesel oil or alcohol in the State, a tax at such rate or rates as may be notified by the State Government from time to time not exceeding twenty-five paise in the case of motor spirit, ten paise in the case of diesel oil and ninety paise in the case of alcohol per litre and such tax shall be payable in the prescribed manner by the dealer effecting such first sale :

Provided that any sale of motor spirit or diesel oil or alcohol by a dealer which is the first sale thereof in the State after the commencement of the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Ordinance, 1974, shall, for the purposes of this sub-section, be deemed to be the first sale thereof in the State, notwithstanding that it may have been the subject of any other transaction of sale within the State before such commencement."

Amendment of section 5.

7. In section 5 of the principal Act, *for* sub-sections (1) and (3) thereof, the following sub-sections shall respectively be *substituted*, namely:—

"(1) Every dealer shall within three months of the commencement of the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Ordinance, 1974 or where he starts business at any place after the commencement of the said Ordinance, then before starting business as a dealer, register himself as a dealer by making an application in the prescribed manner to the prescribed authority, and on such registration he shall be granted a registration certificate in such form and subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that the State Government or any officer empowered by it under section 9 may refuse to grant a registration certificate to a dealer if it or he has already cancelled or refused to renew a registration certificate previously granted to such dealer :

Provided further that any registration certificate granted to a dealer under this Act before the commencement of the said Ordinance shall, notwithstanding anything hereinbefore contained, continue to remain in force and be valid for the period for which it was granted."

"(3) Every registration certificate shall be granted or renewed for a year or part thereof on payment of such fee not exceeding five hundred rupees as may be prescribed."

Amendment of section 10.

8. In section 10 of the principal Act in sub-section (1), *for* the words "motor spirit or diesel oil", wherever occurring, the words "motor spirit or diesel oil or alcohol" shall be *substituted*.

Amendment of section 11.

9. In section 11 of the principal Act, *for* the words "motor spirit or diesel oil" the words "motor spirit or diesel oil or alcohol" shall be *substituted*.

Amendment of section 17.

10. In section 17 of the principal Act in sub-section (2), *for* clauses (*d*) and (*e*), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*d*) prescribing the particulars and forms of returns to be maintained by the dealers in motor spirit or diesel oil or alcohol or two or more, of them, the manner in which they are to be verified, the time when, and the authorities to whom the returns shall be submitted and such other conditions thereof as may be necessary;

(*e*) providing for the regulation of sale of motor spirit or diesel oil or alcohol, the assessment of tax and the issue of notices requiring payment and for the recovery of unpaid tax."

U. P. Ordinance no. 9 of 1974.

Repeal and saving.

11. (1) The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Ordinance, 1974 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 141 राजपत्र (हिन्दी)—795—1974—2095+100 (मे०)